मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,
गोरखपुर

कार्यालय आदेश

प्रबन्ध बोर्ड की दिनांक 28 फरवरी, 2018 के मद संख्या 2018/1.13 में लिए गये निर्णय के क्रम में विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक समुदाय के अधिकारियों, कर्मचारियों एवं छात्रों के सेवा सुरक्षा शिकायतों संबंधी रक्षापायों के अनुश्रवण हेतु अल्पसंख्यक समुदाय के प्रकोष्ठ का गठन किया जाता है, जिसका स्वरूप निम्नवत है :–

1.	अल्पसंख्यक समुदाय से एक प्रोफेसर	अध्यक्ष
2.	विश्वविद्यालय ग्रीवान्स सेल का अध्यक्ष	सदस्य
3.	अल्पसंख्यक समुदाय के एक शिक्षक/शैक्षणिक कर्मचारी /अधिकारी	सदस्य
4.	अन्य जाति का एक शिक्षक	सदस्य
5.	अन्य जाति का एक गैर शैक्षणिक कर्मचारी/अधिकारी	सदस्य
6.	अल्पसंख्यक समुदाय के 3 विद्यार्थी (स्नातक व स्नातकोत्तर, पी.एच.डी. एवं महिला स्तर से एक–एक विद्यार्थी) (केवल विद्यार्थियों से संबंधित मामलों पर विचार के लिए)	सदस्य
7.	कुलपति द्वारा नामित अल्पसंख्यक समुदाय का एक वाह्य सदस्य	सदस्य
8.	कुलसचिव	संयोजक

उक्त प्रकोष्ठ अल्पसंख्यक समुदाय के शिक्षकों/अधिकारियों, कर्मचारियों एवं विद्यार्थियों से संबंधित सभी मामलों तथा उनकी शिकायतों का निस्तारण करेगा। अल्पसंख्यक समुदाय प्रकोष्ठ के मुख्यतः निम्न कार्य होंगे :–

1. अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित सभी मामले।
2. राज्य सरकार एवं भारत सरकार के नियमों के अनुसार विश्वविद्यालय में लागू अल्पसंख्यक समुदाय के आरक्षण से संबंधित सभी मामले।
3. अल्पसंख्यक समुदाय के शिक्षकों/अधिकारियों/कर्मचारियों एवं विद्यार्थियों की शिकायतों को लिखित रूप से दर्ज कराया जाना व उनका निस्तारण।
4. विश्वविद्यालय तथा विभाग स्तर पर समिति हेतु अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों का नामांकन।

विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक समुदाय के शिक्षक/अधिकारी/कर्मचारी एवं विद्यार्थी अपनी शिकायतें निस्तारण हेतु उक्त के पास लिखित रूप में दर्ज कर सकते हैं। पूर्व में जारी कार्यालय आदेश संख्या/मा.प्रौ.वि./कुस.का./28/2018 दिनांक 22 जनवरी, 2018, उपरोक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय।

ह0
कुलपति

पृ.सं./मा.प्रौ.वि./कुस.का./ 149 /2018 दिनांक : 12 अप्रैल , 2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. वैय0 सहा0 कुलपति, मा0 कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. समस्त अधिष्ठाता/विभागाध्यक्ष/प्राक्टर/वित्त नियंत्रक/यूनिट के समस्त प्रभारीगण/समस्त छात्रावास अधीक्षक/समस्त अनुभागीय अधिकारी आदि।
3. वेबमास्टर को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
4. गार्ड फाईल।

12/4/18
कुलसचिव